

प्रेस विज्ञप्ति

पटना – 11 मई, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर-शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं।

उल्लेखनीय है कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के क्रम में छठे चरण से संबंधित कुल 08 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक-10.05.2024 के अपराह्न में वाल्मिकीनगर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर एवं महाराजगंज तथा दिनांक-11.05.2024 के पूर्वाह्न में लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सिवान, गोपालगंज एवं वैशाली में ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट के द्वितीय रैण्डमाइजेशन का कार्य किया गया। द्वितीय रैण्डमाइजेशन निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस दौरान संबंधित लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक भी उपस्थित रहे।

प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य में वाहन दुरुपयोग के संदर्भ में औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01) मामला प्रतिवेदित है। लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के तहत भागलपुर जिलांतर्गत एक (01) मामला प्रतिवेदित है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में नौ (09) मामले प्रतिवेदित हैं जो क्रमेण इस प्रकार हैं—औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01), पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत पाँच (05) एवं सहरसा जिलांतर्गत तीन (03)। इस संदर्भ में आठ (08) एफआईआर दर्ज हैं।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 10.05.2024 को कुल ₹7.74390(लाख) रुपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लीकर-38399.08(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य ₹57.32360(लाख) रुपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल ₹104.91564(लाख) रुपये मूल्य के 8978.00(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल ₹81.41454(लाख) रुपये मूल्य की 102737.00 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल ₹251.39768(लाख) रुपये मूल्य की जब्ती प्रतिवेदित है।